9142

CD 9371
18hour

न्यायालय :– प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

B.P. No-320/2026

Singheswar P.S. Case No.-125/2026

1. उषा देवी उम्र करीब 56 वर्ष पति हरेराम पासवान
2. हरेराम पासवान उम्र करीब 55 वर्ष पे0 स्व0 प्रेमलाल पासवान

(दोनों साकिन –रमाणी टोला, सिंहेश्वर, वार्ड नं0–03, थाना–सिंहेश्वर, जिला – मधेपुरा।)

.........अभियुक्तगण।

बनाम्

बिहार सरकार ....विपक्षी।

12-06-2026

दिनांक 29.03.2026 से काराधीन अभियुक्त **उषा देवी एवं हरेराम पासवान** की ओर से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 20.04.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजनारायण पासवान, द्वारा प्रचालित किया गया। नियमित जमानत आवेदन–पत्र की प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री पुरूषोतम यादव को दी जा चुकी है।

सूचक अमोल धामिन के लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 28.03.2026 समय करीब 15.30 बजे सिंहेश्वर थाना के पुलिस पदाकिधकरी के समक्ष स्वेच्छा से बिना किसी दवाब एवं भय के अपना बयान दे रहा हूँ। दिनांक 26.03.2026 को समय करीब 15.00 बजे उसकी भतीजी लिखनी देवी अपने दरवाजे पर थी। उसी वक्त गांव के ही उषा देवी ने अपने बेटा सुभाष पासवान को बोली कि धुनिया सब हमको डायन कह रही है। इस बात पर हरेराम पासवान, उषा देवी, सुभाष पासवान, सुमन पासवान, आजाद पासवान, प्रकाश पासवान, भुटो पासवान, अमित पासवान, कोकवा पासवान, बिकु पासवान एवं अन्य अज्ञात व्यक्ति लाठी डंडा एवं कचिया लेकर पूरे परिवार को जान मारने के नियत से मारपीट करना शुरू कर दिया जिसमें बबलू धामिन का सर फट गया, मंजेश धामिन को पीठ एवं कमर पर चोट लगा, आशा देवी का गाल कट गया, अमर धामिन एवं उसके बेटे विशाल कुमार को काफी चोट लगा। मारपीट के दौरान उसके दामाद अमर धामिन का 10 भरी का गले में का चांदी का सिकड़ी छीन लिया तथा मोबाईल भी तोड़ दिया तब तक गांव के काफी आदमी आ गए। ग्रामीणों द्वारा सभी घायल को ईलाज हेतु पी.एच.सी. सिंहेश्वर भेज दिये। बेहतर ईलाज हेतु मेडिकल कॉलेज सिंहेश्वर रेफर कर दिया। जहॉ पर सभी का ईलाज चल रहा है। दिनांक 28.03.26 को समय 13.00 बजे दिन में उसका बेटा मोटर साईकिल से आ रहा था। दिनांक 26.03.26 को हुई मारपीट में चोट लगने के कारण उसे चक्कर आ गया और वह सड़क पर गिर कर बेहोश हो गया जिसे ईलाज हेतु मेडिकल कॉलेज मधेपुरा ले गये जहॉ पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। उसे पूर्ण विश्वास है कि उसके बेटे विशाल कुमार की मृत्यु मारपीट में लगे चोट के कारण हुई है। सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर सिंहेश्वर थाना कांड संख्या– 125/2026 अन्तर्गत धारा 126(2), 127(2), 115(2), 303(2), 109(1), 103(1), 3(5) बी.एन.एस. के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राजनारायण पासवान के द्वारा यह कहा गया है कि अभियुक्तगण का इससे पूर्व श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मधेपुरा से नियमित जमानत आवेदन दिनांक 13.04.26 को खारिज किया जा चुका है। अभियुक्तगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। आवेदकगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण दिनांक 29.03.2026 से न्यायिक हिरासत में है। घटना का मुख्य कारण है कि सूचक एवं अभियुक्तगणों के बीच पूर्व से वाद विवाद चला आ रहा था। डेयन–डेयन कहने को लेकर दोनों पक्षों के बीच वाद विवाद हुआ था जिसके लेकर अभियुक्तगणों द्वारा एक मुकदमा माननीय न्यायालय, में

12-06-2026
लगातार

सूचक एवं सूचक के परिवार अन्य के विरूद्ध मुकदमा स0 21/26 दर्ज किया गया है। उक्त मुकदमा के प्राथमिकी आवेदन में सूचक द्वारा अंकित किया गया है कि दिनांक 26.03.26 समय करीब 15 बजे उसकी भतीजी लिखनी देवी अपने दरवाजे पर थी उसी वक्त गांव के ही उषा देवी ने अपने बेटा सुभाष पासवान को बोला कि धुनिया सब हमको डायन कह रहा है। इसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ है जैसा कि उक्त मुकदमा का प्राथमिकी आवेदन, सिंहेश्वर थाना कांड संख्या 125/26 में अंकित किया जा चुका है। उक्त मुकदमा में सूचक द्वारा प्राथमिकी आवेदन में यह भी अंकित किया गया है कि हम सभी का पी.एच.सी. सिंहेश्वर भेज दिया गया जहॉ से बेहतर ईलाज हेतु मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा रेफर कर दिया जहॉ पर सभी का ईलाज चल रहा है। उक्त मुकदमा में एक जॉच का विषय बनता है कि जो कि मृतक विशाल कुमार की मृत्यु काफी नशे की हालत में मोटर साईकिल से रोड एक्सीडंट में हुई है जैसा कि उक्त मुकदमा के सूचक द्वारा प्राथमिकी आवेदन में अंकित कर दाखिल किया जा चुका है। मृत विशाल कमार नशे की हालत में मोटर साइकिल से बाजर की तरफ जा रहा था कि अचानक रामदेव रमानी के घर के समने रोड ऐक्सीडंट होकर गिर गया जिससे गंभीर चोट लग गया और गिर गया जिसे रामदेव रामनी की दोनों पतोहू अपने आंखों से देखी है औरी अपनी बयान भी स्वेच्छा पूर्ण मिडिया के समक्ष दी है। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय की संतोषप्रद एवं पर्याप्त राशि का बंध–पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को नियमित जमानत आवेदन की सुविधा प्रदान की जाय।

बिहार सरकार की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री पुरूषोतम यादव द्वारा जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा औपचारिक प्राथमिकी, मूल अभिलेख एवं कांड़ दैनिकी की छायाप्रति का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। Informat Amol Dhamin lodged FIR that on 26.03.26 at 15:00 hours that her cousin Likhni Devi was at door step. At the same time Usha Devi came and she went away with Likhni Devi into house of Lambu Ramani. Usha Devi told his son Subhash Paswan that all Dhuniyas used to tell her "Dian". Hareram paswan, Usha Devi, Subhash Paswan, Suman Paswan, Azad Paswan, Prakash Paswan, Bhuto Paswan, Amit Paswan, Kokwa Paswan and Biku Paswan and few unknown began assaulting Babloo Dhamin, Manjesh Dhamin, Asha Devi, Amar Dhamin and Vishal Kumar. Vishal Kumar received serious injury who died at 13:00 hrs dated 28.03.26 due to assault made over to him by accused side. Para 39 of case diary contained the postmartem report. Usha Devi and Hareram Paswan have been under judicial custody since 29.03.26.

Having considered the nature of offence u/s 103(1) B.NS. I do not think the case is fit for bail. Hence bail application of both Usha Devi and Hareram Paswan stands **Rejected**.

लेखापित

(संजीव कुमार–II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– प्रथम,
सह–स्पेशल जज, मधेपुरा।